IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

## कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, अवध विहार वृत्त

भू-तल हाल सं0-1, आफिस काम्पलेक्स,
सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
E-mail-circleavadhvihar@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरोIS 15700

मानक: पथप्रदर्शक:
Bureau of Indian Standards

SQMS

पत्र सं0 3206 / Y-12 / 167 दिनाँक 01-12-2023

## ई-अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु ऑन-लाइन निविदायें परिषद में सक्षम स्तर से निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत अथवा अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से दिनांक 22.12.2023 के अपरान्ह 03.00 बजे तक ई-टेण्डर पद्धति पर राज्य सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) की वेबसाइट http://etender.up.nic.in. के माध्यम से एकल बिड पद्धति पर आमंत्रित की जाती है, जिसकी निविदा प्रपत्र उपस्थित निविदा-दाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 22.12.2023 को अपरान्ह 03.30 बजे खोली जायेगी। आमंत्रित निविदा की निविदा प्रपत्र/वित्तीय बिड का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र0 सं0 | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | अनुमानित लागत (रू0 लाख में) | धरोहर धनराशि (रू0 लाख में) | निविदा प्रपत्र का मूल्य + जी0एस0टी0 | कार्य पूर्ण करने की अवधि/ बिड | आर0टी0जी0एस0हेतु खाते का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | अवध विहार योजना लखनऊ में निर्मित अवध शिल्पग्राम के अनुरक्षण/मरम्मत कार्यसभी आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों सहित। | बी0ओ0क्यू0 के अनुसार | 11.35 | 0.23 | 1000.00 + 18% GST | 01 माह/ एकल-बिड | **Name of A/C Holder** Executive Engineer Construction Division Lucknow-08, UPAVP, Anchor shop-1, 2 & 3, Awadhshilp Gram, AwadhViharYojna, Lucknow **Account Detail** Bank of Baroda, R.S.M. Nagar, Branch, Lucknow **Account No. 77290100016067** **IFS Code No. BARB0VJRSMN** |
| 2 | अवध विहार योजना लखनऊ के नोड संख्या 17 से 18 के मध्य की ट्रंक सड़क का स्ट्रेन्थनिंग/मरम्मत कार्यसभी आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों सहित। | बी0ओ0क्यू0 के अनुसार | 22.00 | 0.44 | 1500.00 + 18% GST | 01 माह/ एकल-बिड | |

अ- निविदा/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर0टी0जी0एस0 के यू0टी0आर0 की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड भी किया जाना होगा।
ब-निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइड http://upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन की वेबसाइडhttp://etender.up.nic.in. परदेखे जा सकते है। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट पर देखते रहें, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/फर्मों द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती है।

## निविदा से सम्बन्धित विवरण

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | ई-निविदा आमन्त्रण सूचना प्रकाशन की तिथि | दिनाँक **02.12.2023** | **नोट:-** निविदा से संबंधित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग अलग- **RTGS/NFET** के माध्यम से उपरोक्त विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। |
| 2 | निविदा/प्रपत्र अपलोड करने की तिथि एवं समय | दिनांक 08.12.2023 को अपरान्ह 03.00 बजे तक | |
| 3 | निविदा/प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि एवं समय | दिनाँक 08.12.2023 को अपरान्ह बजे से 03.00 दिनाँक 22.12.2023 अपरान्ह 02.30 बजे तक | |
| 4 | निविदा प्रपत्र अपलोड करने की तिथि एवं समय | दिनाँक 08.12.2023 को अपरान्ह बजे से 03.00 दिनाँक 22.12.2023 अपरान्ह 03.30 बजे तक | |
| 5 | निविदा प्रपत्र एवं वित्तीय विड खोलने का स्थान तिथि एवं समय | कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड लखनऊ-08, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। दिनाँक **22.12.2023** को अपरान्ह 3.30 बजे तक | |

क्रमशः पृष्ठ-02 पर

## सामान्य शर्तेः-

1. उ0प्र0भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष-2009 के विनियम-24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अतः निविदा स्वीकृत एवं अनुबन्ध गठन के बाद एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा।
2. निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य न होगा।
3. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे। उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रू0 100.00 के नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ-पत्र देना होगा।
4. निविदादाताओं/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि परिषद के नवीनतम कार्यालय आदेश के अनुरुप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड लखनऊ-08, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के पक्ष में बंधक हो, जमा करनी होगी।
5. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
6. निविदादाता/फर्म द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं विचार नही किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है, तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।

7अ. निविदादाता/फर्म को जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

ब. निविदादाता के सभी देयकों से कार्य की लागत पर देय आयकर एवं लेबरसेस की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

स. कार्य की लागत में जी0एस0टी0 को छोड़कर समस्त कर सम्मिलित है। तद्समय देय जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार कार्य की लागत पर देयता के अनुसार किया जायेगा।

8. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है, तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
9. समस्त कार्य उ0प्र0लोक निर्माण विभाग/ उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/उ0प्र0 जल निगम/नगर निगम की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार करायें जायेंगे।
10. जी0पी0डब्ल्यू0-9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
11. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा।
12. परिषद में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा स्थाई धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) एवं कुल धरोहर धनराशि के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपयुक्त रूप में जमा करनी होगी।
13. शासनादेश सं0-622/23-12-2012-2 आडिट/08टी0सी0-2/दिनांक 08.06.2012 के अनुसार निविदा की दर बी0ओ0क्यू0 से **Below**देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि किसी शिल्डूयूल्ड/राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/बैंक गारण्टी के रूप में निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।

(क) 10%**Below**दर तक प्रति 1.00% कम **(Below)** दर पर 0.50 प्रतिशत।

(ख) 10% से अधिक **Below**दर होने पर प्रति 1.00% कम **(Below)** दर पर 1.00 प्रतिशत।

14. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य न होगा।
15. फर्म को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित पत्रों का प्राप्त न होने का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
16. निविदा क्रमांक-1 पर अंकितकार्यों हेतु निविदा प्रपत्र में आंकलित/वर्णित श्रमशक्तियों को कार्य पर लगाना अनिवार्य है अन्यथा निविदा प्रपत्र में अंकित प्राविधानों/नियमों/शर्तों के अनुसार दण्डात्मक पेनाल्टी/कार्यवाही की जायेगी।
17. निविदा प्रपत्र के साथ ही टी0-4, टी0-5 अर्थात वैध चरित्र प्रमाण पत्र/हैसियत प्रमाण पत्र लोड करना अनिवार्य है।
18. निविदा की दर कम या अधिक **(Below or Above)**अंकित न होने पर **(Below)** माना जायेगा।
19. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
20. उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोविड-19 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
21. निविदा में भाग लेने वाली फर्मों को निविदा से सम्बन्धित वाँछित सभी प्रपत्रों को निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
22. निविदा डालने से पूर्व ठेकेदार/फर्म को कार्य स्थल का निरीक्षण कार्य की प्रकृति एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्ण अध्ययन करने की अपेक्षा की जाती है। इस सम्बन्ध में बाद में कोई क्लेम मान्य नही होगा।
23. ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्य स्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी। परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नही होगी तथा ठेकेदार/फर्म से वसूली की जायेगी।

**क्रमशः पृष्ठ-03 पर**

AE

24. सम्बन्धित कार्यों को निविदा प्रपत्र में अंकित नियम/शर्तों/विशिष्टियोंनुसार सुचारू रूप से सम्पादित न किये जाने की दशा में 01 माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त करते हुये सिक्योरिटी एवं परफार्मेन्स सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी।
25. क्रमांक-02 पर अंकित कार्य हेतु हाट मिक्स प्लान्ट का स्वामित्व तथा सड़क के निर्माण कार्य का अनुभव रखना अनिवार्य है।
26. क्रमांक-01 पर अंकित कार्य हेतु भवन के अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य का अनुभव रखना अनिवार्य है।
27. निविदा स्वीकृति पत्र निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर अनुबन्ध गठित हेतु समस्त आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करते हुये अनुबन्ध गठित कराना होगा। अन्यथा निविदा स्वीकृति निरस्त करते हुये धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। जिसके लिये कोई कथन/क्लेम मान्य नही होगा।

(पी0के0वर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता
AE

पृ0सं0 3206 / Y-12 / 167 तददिनाँक 01-12-2023

**प्रतिलिपि**:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः-

1. मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता-वृन्दावन वृत्त/लखनऊ वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड लखनऊ-1/2/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,104 महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सहायक अभियन्ता(तक0),अवध विहार वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता
AE